"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—श्रावण 3, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि./2016.— केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-115 के उप-नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त योजना में -

1. कंडिका 4 के उप-खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन अधिकारी की एक समिति, जिले में पंजीकृत मोटरयानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार कर, उस जिले में स्थापित प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या प्रस्तावित करेगी और कलेक्टर द्वारा इस प्रकार अनुमोदित संख्या, उस जिले के प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या होगी."

2. खण्ड 7 के उप-खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(2) ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित फीस प्रभारित करेगा, अर्थात् :-

स. क्र.	मोटरयान का प्रकार	फीस रुपये में
(1)	(2)	(3)
1.	दो पहिया यान	40.00

(1)	(2)	(3)
2.	तीन पहिया यान	60.00
3.	चार पहिया हल्के मोटरयान	80.00
4.	मध्यम मोटरयान	100.00
5.	भारी मोटरयान	150.00

No. F 5-3/Eight-Trans./2016.— In exercise of powers conferred by sub-rule (7) of rules 115 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the State Government, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Motoryan Pradushan Jaanch Kendra Yojna 2001, namely :-

AMENDMENT

In the said Scheme -

1. For sub-clause (1) of clause 4, the following shall be substituted, namely :-

"(1) A commitee of Collector, Superintendent of Police and Transport Officer of the district concerned having regards to the number of registered motor vehicles in the district and considering the requirements of the local area shall propose the maximum number of pollution testing centres to be stablished in that district and the number so approved by the collector shall be the maximun number of the pollution testing centres of that district."

2. For sub-clause (2) of clause 7, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The owner of authorised pollution testing centre shall charge the following fee from the owner of the vehicle for issuing certificate, namely :-

S. No. (1)	Type of Motor Vehicle (2)	Fee in Rupees (3)
1.	Two Wheeler	40.00
2.	Three Wheeler	60.00
3.	Four Wheeler L. M. V.	80.00
4.	Medium Motor Vehicle	100.00
5.	Heavy Motor Vehicle	150.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.